



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092025-266175
CG-DL-E-16092025-266175

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4051]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 15, 2025/भाद्र 24, 1947

No. 4051]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 15, 2025/BHADRA 24, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2025

का.आ. 4166(अ).—केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), (इसमें इसके पश्चात "आयकर अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (पैन: AAALG0072C) (इसमें इसके पश्चात "निर्धारिती" के रूप में संदर्भित), जोकि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम 11, 1973) के अंतर्गत गठित एक प्राधिकरण है, को उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2024-2025 से प्रभावी होगी, बशर्ते कि करदाता आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (क) में निर्दिष्ट एक या अधिक प्रयोजनों के साथ उत्तर प्रदेश नगर नियोजन विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम 11, 1973) के अंतर्गत गठित प्राधिकरण बना रहे।

[अधिसूचना सं. 146/2025/फा. सं. 300195/40/2024-आईटीए-1]

मीनाक्षी सिंह, उप सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Central Board Of Direct Taxes)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2025

S.O. 4166(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (b) of clause (46A) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as “the Income-tax Act”), the Central Government hereby notifies “Ghaziabad Development Authority (PAN: AAALG0072C)” (hereinafter referred to as “the assessee”), an authority constituted under the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (President Act No.11 of 1973) for the purposes of the said clause.

2. This notification shall be effective from the assessment year 2024-2025, subject to the condition that the assessee continues to be an authority constituted under the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (President Act No.11 of 1973) with one or more of the purposes specified in sub-clause (a) of clause (46A) of section 10 of the Income-tax Act.

[Notification No. 146/2025/ F. No. 300195/40/2024-ITA-I]

MEENAKSHI SINGH, Dy. Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.